"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 636] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/23/1916. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/23/1086 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला नारायणपुर के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला नारायणपुर, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला– नारायणपुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना–2025

अनुसूची–एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
निरंक			

जिला– नारायणपुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना–2025

अनुसूची–दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रमो का नाम)
1	2	3	4
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेनूर	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांदागांव	चांदागांव
			मटावण्ड
			सिवनी
			सोनापाल
			उडीदगांव
			कुलानार
			नयानार
			गोहड़ा
			मालिंगनार
			रेमावण्ड
2	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित एडका	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गढबेंगाल	गढबेंगाल
			देवगांव
			माहका
			तेरदुल
			कुम्हली
			ब्रेहबेड़ा
			गरावण्ड
			नाउमुंजमेटा
			मरकाबेड़ा
			हलामी मुंजमेटा
			बावड़ी
			नेलवाड़
			टिमनार
			कस्तुतरवाड़
			छोटे सुहनार
			लाल सुहनार

जिला– नारायणपुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना–2025

अनुसूची–तीन

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर

क्रमांक	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है।
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.